

Senior Citizen Home Complex
Resident Welfare Association
Pkt, P-4, Builders Area, Greater Noida

अध्यक्ष आर० डब्लू० ऐ० का सम्बोधन
(ए०जी०बी०एम० 29.04.2018)

सीनियर सिटीजन होम काम्पलैक्स की आर०डब्लू०ऐ० की वार्षिक गोष्ठी (ए०जी०बी०एम०) में सभी सम्मानित सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। अप्रैल 2017 से अब तक के मध्य जो हमारी आर०डब्लू०ऐ० के सदस्य या उनके परिजन हमारे बीच नहीं रहे मैं एंवम आर०डब्लू०ऐ० की समस्त कार्यकारिणी उनकी आत्मा की शान्ति के लिए प्रार्थना करते हैं।

पिछले एक वर्ष में इस परिसर के वातावरण को स्वच्छए खुशनुमा रहने योग्य बनाने में समस्त सदस्यों के सहयोग के लिये मैं आर०डब्लू०ऐ० कार्यकारिणी की ओर से धन्यवाद प्रेषित करता हूँ।

अपनी 2017-18 की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व ए०जी०बी०एम० का महत्व, अधिकार एवम सीमाएं तथा आर०डब्लू०ऐ० कार्यकारिणी के महत्व, अधिकार एवम सीमाओं का निर्धारण आवश्यक है। ए०जी०बी०एम० द्वारा आर०डब्लू०ऐ० की कार्यकारिणी को दी गई वित्तीय सीमाओं का क्या कार्यकारिणी अतिक्रमण कर सकती है? यदि आर० डब्लू०ऐ० कार्यकारिणी, उसका कोई पदाधिकारी अथवा सदस्य इस सीमा का उल्लंघन कर मनमाना एवं स्वेच्छाचारिता करता है तो इस तरह के कृत्य का उपचार क्या तरीका है और इसके द्वारा आर०डब्लू०ऐ० की आर्थिक क्षति की पूर्ति किस प्रकार होगी उस पर मनन और निर्णय होना अति आवश्यक है। पिछली (वर्ष 2015-17) की आर०डब्लू०ऐ० कार्यकारिणी द्वारा कुछ स्वेच्छाचारी एवं मानमाने कार्यो से आर०डब्लू०ऐ० की कार्यशैली एवं आर्थिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ा है जो जानकारी के लिए प्रस्तुत है:-

1. 25 अक्टूबर 2015 की आर०डब्लू०ऐ० कार्यकारिणी सभा में एक मत निर्णय लिया गया कि वर्ष 2015 के चुनाव में अनियमितताएं हुई हैं, अतः अप्रैल 2016 में वर्ष 2016-17 के लिए नई कार्यकारिणी

का चुनाव कराया जायगा। आर०डब्लू०ए० कार्यकारिणी के उक्त निर्णय के बाद भी कुछ निज स्वार्थों के कारण मनमानी एवं स्वेच्छाचारिता करके चुनाव नहीं कराया गया।

2. 2015 की ए०जी०बी०एम० द्वारा एक वर्ष के कार्यकाल के लिए केवल दो नई लिफ्ट लगाने के लिए 30 लाख रूपए का, शाफ्टों की मरम्मत के लिए 20 लाख रूपए और पार्किंग हेतु इन्टरलाक टाइल्स लगाने के लए 15 लाख रूपए खर्च करने का वित्तीय अनुमति का प्रावधान था जिसमें 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत बदलाव कीमतों के उतार चढ़ाव के अनुसार संभव है। परन्तु बिना ए०जी०बी०एम० की अनुमति के पूर्व आर०डब्लू०ए० कार्यकारिणी ने नई लिफ्ट खरीद में लगभग रूपए एक करोड़ तीस लाख तथा इन्टरलाक टाइल्स कार्य में लगभग रूपए 27 लाख, अनिधकृत भुगतान कर दिया गया जो स्वेच्छाचारिता एवं मनमाना कार्य है, जैसे कार्यकारिणी आर०डब्लू०ए० इस परिसर की कस्टोजियन न होकर मासिक हो गई हो।
3. आर०डब्लू०ए० के सदस्यों की आजीवन सदस्यता शुल्क का धन जो लगभग रूपये 50 लाख एफ०डी० के रूप में खाते में था। जिससे प्राप्त ब्याज से ए०जी०बी०एम० के खर्चों तथा आर०डब्लू०ए० से सम्बंधित कानूनी केस में खर्च करने का प्रावधान था और आर०डब्लू०ए० की कार्यकारिणी की 10 मई 2015 की सभा में इस निर्णय पर स्वीकृति भी थी। परन्तु आर०डब्लू०ए० कार्यकारिणी के जिम्मेदार अधिकारी ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर मनमानी करते इस एफ०डी० कैश कराकर प्राप्त धन का आर०डब्लू०ए० के हितों से अलग अपने छुपे ऐजन्डों व गुप्त हितों को पूरा करने हेतु अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर खरीदी गई लिफ्टों का भुगतान कर दिया गया।
4. एस०डी०एम० सदर गौतमबुद्ध ने पूर्व आर०डब्लू०ए० कार्यकारिणी को आवश्यक आर्थिक खर्चों जैसे बिजली पानी सफाई सुरक्षा का मासिक खर्चों आदि को छोड़कर अन्य भुगतानों पर रोक लगा दी थी फिर भी पूर्व आर०डब्लू०ए० कार्यकारिणी ने अन्य कार्यों पर अनावश्यक भुगतान कर दिए। उसके पीछे क्या लक्ष्य था उसे आप सभी अच्छी तरह समक्ष सकते हो।
5. लगभग 60 सदस्यों से पूर्व आर०डब्लू०ए० कार्यकारिणी ने अपने कार्यकाल से आगे जाकर वर्तमान आर०डब्लू०ए० कार्यकारिणी के समय का भी मैन्टीनेन्स भुगतान एडवान्स में ले लिया जिसमें 11 महीने भुगतान पर 12 महीने की रसीद दी गई जिससे वर्तमान आर०डब्लू०ए० कार्यकारिणी और आर०डब्लू०ए० को लगभग रूपए 80,000/- का नुकसान हुआ है जिसका उल्लेख पूर्व आडिट एकाउन्ट में नहीं है।

6. कोई भी संस्था बिना आर0बी0आई0 के लोइसेंस के किसी भी investor से ब्याज पर पैसे नहीं ले सकती है। RWA के by laws पृष्ठ 10 उपबन्ध xxxix के अनुसार संस्था का धन किसी भी सदस्य को इनाम परिताषिक लाभ, ब्याज अथवा डिवीडेन्ट देने में उपयोग नहीं किया जायेगा। यदि कर दिया गया है तो वापस लिया जायेगा। ऐसा करने पर सोसाइटी/RWA को आयकर विभाग द्वारा दी गई कर छूट समाप्त हो जाएगी।

पूर्व आर0डब्लू0ए0 कार्यकारिणी ने अपने काल में 11 माह के भुगतान पर 12 माह की रसीद देना और सदस्यों द्वारा प्राप्त रूपये एक लाख पर 1 प्रतिशत प्रतिमाह (रू0 एक हजार प्रतिमाह) देना दोनों ही वित्तीय अधिकार से बाहर है। वर्ष 2016-17 की आडिट रिपोर्ट में इसका उल्लेख नहीं है। इस पर का लगभग रू0 1,20,000/- की देनदारी ब्याज स्वरूप बनती है।

उपरोक्त नुकसान तथा इससे भविष्य में होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी तय कर उनके विरुद्ध AGBM दायित्व कार्यवाही करे ताकि भविष्य में पुनः कोई ऐसा न कर पाए।

7. पूर्व RWA कार्यकारिणी ने न केवल अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर अधोमानक (sub standard) लिफ्टों को खरीदा है और दो वर्ष की वारन्टी के स्थान पर एक वर्ष वारन्टी पर सहमति देकर करीब 6 लाख की क्षति दूसरे वर्ष की AMC पर सहमति देकर की है। अधोमानक लिफ्ट के लेने से परिसर निवासीयों को भविष्य में बहुत परेशानी होगी तथा धन भी व्यर्थ जाएगा। पूर्व RWA के कुछ सम्मानित सदस्य बिल्डर सोसाइटी से मिलकर RWA का उपयोग बिल्डर सोसाइटी के हित में कर रहे थे। यह भी एक तरह से षण्यंत्र ही था कि RWA का वकील ही बिल्डर सोसाइटी का उपाध्यक्ष है।
8. सीनियर सिटीजन होम काम्प्लेक्स वैलफेयर सोसाइटी- को माननीय उच्च-न्यायालय नैनीताल में पैरवी कर लीज डीड के रजिस्ट्रेशन हेतु आने पर विवश किया गया जिससे लीज डीड रजिस्ट्रेशन हेतु पत्राचार किया गया। उनके जबाब न देने पर मुख्य मन्त्री जी उ0प्र0 सरकार तथा मुख्य कार्यकारिणी ग्रेटर नोयडा विकास प्राधिकरण को पत्र लिखा गया है। बिल्डर सोसाइटी इस सम्बन्ध में मौन है।
9. जहाँ तक इन्कम टैक्स में प्लैट को अटैच करने का प्रश्न है तो अवगत कराना है कि बिल्डर सोसाइटी ने डिप्टी रजिस्ट्रार के यहाँ से जो आदेश प्राप्त किया उसमें बिल्डर सोसाइटी तथा

RWA को एक ही संस्था (पहले सीनियर सिटीजन होम काम्प्लेक्स वैलफेयर सोसायटी जो अब सीनियर सिटीजन होम काम्प्लेक्स रेजीडेन्ट वैलफेयर एसोसिएशन के नाम से जानी जाती है) अंकित कर दिया गया है। जो त्रुटिपूर्ण है तथा आदेश को संशोधित कराने हेतु डिप्टी रजिस्ट्रार, (सोसाइटी में) देहरादून को लिखा गया है आदेश संशोधन की प्रतीक्षा है। लीज डीड रजिस्ट्रेशन में सहयोग हेतु RWA हमेशा तत्पर है।

उक्त तथ्यों से यह स्वयं सिद्ध है कि कुछ लोग RWA को अपनी मर्जी के अनुसार चला रहे थे तथा कोई नियम कानून उनके द्वारा नहीं माना जा रहा था। ऐसा पुनः नहीं हो इसकी A.G.B.M. कोई व्यवस्था निर्धारित करे जिससे कोई इसे अपनी कठपुतली न बना सके।

धन्यवाद।



(वीरेन्द्र सिंह बत्तियान)

अध्यक्ष RWA